

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2016—पौष 24, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. एफ बी-4-18-2015-2-पांच(4).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2015 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (1) बीमा की प्रत्येक पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जायेगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का उपरोक्त रीति से भुगतान कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन देय समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.
- (2) मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपये 1 करोड़ (रुपये एक करोड़ केवल) के भुगतान के चालान की एक प्रति उप महानिरीक्षक, पंजीयन के आंचलिक कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है उसकी बीमित रकम की पॉलिसी संख्या तथा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम समाविष्ट करने वाला विवरण प्रत्येक तिमाही के अन्त में उप महानिरीक्षक, पंजीयन कार्यालय, भोपाल में प्रस्तुत किया जाएगा.
- (4) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-27-2014-2-पांच(4), दिनांक 23-1-2015 के अनुसरण में चालान क्रमांक 831921, दिनांक 2-2-2015 द्वारा जमा की गई रकम 40 लाख रुपये में से शेष रकम 12,75,600/- रुपये एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-07-2015-2 पांच (11), दिनांक 5 जून 2015 के अनुसरण

में चालान क्रमांक 43180940/372, दिनांक 15 जून 2015 द्वारा जमा की गई रकम 70 लाख रुपये में से शेष राशि 21,60,814/- रुपए इस प्रकार कुल रकम 34,36,414/- रुपये का भी अवधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर समेकन किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्र. एफ बी-4-18-2015-2-पांच(4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्र. एफ बी-4-18-2015-2-पांच(4), दिनांक 14 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 14th January 2016

No. F. B-4-18-2015-2-V(4).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby directs that the stamp duty chargeable under the said Act on policies of insurance issued by the Life Insurance Corporation of India during the period from 1st October 2015 to 31st March 2017 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions, namely :—

- (1) It shall be indicated by an endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
- (2) A copy of the Challan of payment of consolidated amount of Rs. 1 Crore (Rupees One Crore only) in any Government Treasury of Madhya Pradesh shall be submitted to Zonal office of the Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.
- (3) A statement consisting the policies numbers of sum insured and the exact amount of stamp duty paid on the policies for the period for which consolidation of duty has been made, shall be submitted to a office of the Deputy Inspector General of Registration, Bhopal, at the end of every quarter.
- (4) The balance amount of rupees 12,75,600 out of the amount of rupees 40 Lakh deposited by the Life Insurance Corporation of India *vide* Challan Number 831921, dated 2 February 2015 in pursuance of notification Number F-B-4-27-2014-2-V(4), dated 23 January 2015 and the balance amount of Rupees 21,60,814 out of the amount of Rupees 70 Lakh deposited *vide* Challan Number 43180940/372, dated 15 June 2015 in pursuance of notification number F-B-4-07-2015-2-V (11), dated 5 June 2015, i.e. a total amount of Rupees 34, 36, 414 may also be consolidated for the policies of insurance issued during the period.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.